



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इंदौर 452001
दूरभाष : 2523536

क्रमांक / प्रशा. / कॉलेज कोड-28/2024/122

दिनांक 21 FEB 2024

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव शासी निकाय / प्राचार्य,
समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलिराजपुर (म.प्र.)

विषय : संबद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य / शिक्षकों की परिनियम -28 में
नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की वैद्यता विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि विश्वविद्यालय की
कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 की संपन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि
“अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य / शिक्षकों की कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत नियुक्ति
हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा चयन समिति के गठन
का पत्र जारी होने की दिनांक से 06 माह की अवधि में चयन प्रक्रिया पूर्ण करना होगी।
इसके उपरांत विलम्ब शुल्क रूपये 50000/- जमा करने पर प्राचार्य / शिक्षकों की
नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति के कार्यकाल में 03 माह की वृद्धि की जा सकेगी।

कार्यपरिषद के निर्णय अनुसार संबंधित महाविद्यालयों में निर्धारित अवधि में
प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें। नियत समयावधि
के उपरांत चयन समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक / प्रशा. / कॉलेज कोड-28/2024/122

दिनांक 21 FEB 2024

1. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की ओर
सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी आई.टी. सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की ओर विश्वविद्यालय की
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उप कुलसचिव(प्रशासन)